Ministry of Home Affairs-Major Achievements, significant Development and important events for the month of December, 2021.

Union Home Secretary held a meeting, through VC, on 20.12.2021 with all stakeholders concerned including Coastal States/UTs to review coastal security.

2. On 30.12.2021, Union Home Secretary held a meeting with Chief Secretary of Meghalaya to review (i) implementation of ANVC Accord (2014), (ii) issues pertaining to recommendations of the 223rd Report of Department Related Parliament Standing Committee (DRPSC) on "The Constitution (One Hundred and Twenty Fifth Amendment) Bill, 2019" and (iii) issues pertaining to insurgent groups of Meghalaya.

3. Union Home Secretary reviewed the implementation of Bodo Accord signed on 27.01.2020 and Karbi Accord signed on 04.09.2021 with Chief Secretary of Assam on 31.12.2021.

4. The 13th meeting of Steering Committee for Review of Coastal Security (SCRCS) was held on 17.12.2021 through virtual mode under the chairmanship of Secretary (Border Management).

5. 19th Meeting of the Standing Committee of the Northern Zonal Council was held on 03.12.2021 at Shimla.

6. Vide MHA's Notification No. SO 5448(E) dated 30.12.2021, the whole State of Nagaland has been declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months w.e.f. 30.12.2021.

7. A VC meeting was held on 23.12.2021 under Additional Secretary (LWE) to review the progress of various schemes for Effective Perception Management in LWE affected areas with the Sub-Group of Central Perception Management Group.

8. Rs. 139.50 crore released to Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh & West Bengal States under Security Related Expenditure (SRE) Scheme for the LWE affected States.

9. Rs.220 crore released to Jharkhand, Bihar & Odisha States under Special Central Assistance (SCA) Scheme for the LWE affected States.

10. Administrative approval and expenditure sanction amounting to Rs.56,75,47,999/- for the work related to construction of nonresidential buildings including Quarter Master Store, Quarter Guard, Admin Block, GO's Mess etc and site development & bulk services for 43rd Bn of ITBP at Kalna (Nogli), Ramapur (HP) has been issued on 15.12.2021.

11. MHA vide order dated 27.12.2021 has conveyed Transfer/allotment of Gram Panchayat land measuring 70 acres of Rs.66.50 crore, for establishment of Reserve Battalion HQrs of SSB at Nacholi, District-Faridabad.

12. Total 47 Coys of CAPFs (RAF-23, CRPF-07, BSF-03, SSB-07 & ITBP-07) as direct induction have been ordered for deployment in various States (i.e. Chandigarh, Uttar Pradesh, Telangana and Jharkhand) for law and order duties for a specific deployment period.

13. A VC meeting was held on 07.12.2021 under Joint Secretary (PM) with IG (RAF), CRPF and Director, CSIR-CMERI to review the development of Mob Control Vehicle by CSIR-CMERI.

14. BPR&D and All India Council for Technical Education (AICTE) jointly organised the grand finale of the hackathon Manthan-2021 on 08.12.2021, on issues relating to Cyber Security. A total of 2203 suggestions were received during the Hackathon and 115 teams participated in the final competition.

15. During the month, the five CDTIs and CAPT Bhopal conducted a total of 43 online courses, in which 1309 personnel were trained.

16. An Advisory has been issued to State Government /CAPFs to sensitize them to counter the LWE activities in the LWE affected areas.

17. Sanction for prosecution for filing the charge sheet against 54 accused persons was accorded in accordance with Section 45(1) of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

18. On 27.12.2021, orders under section 10(2) (1) of the Disaster Management Act, 2005, was issued directing the State/UT Governments and State/UT Authorities to consider implementation of the Normative Framework for taking evidence based containment measures at district/local level as conveyed vide MoHFW advisory dated 21st December 2021 in view of the increased detection of the Variant of Concern (VOC) in various parts of the country. This Order will remain in force until 31.01.2022. Thereafter, DO letter issued to Chief Secretaries and Administrators of States/UTs to take necessary measures for prompt and effective management of Covid-19, strict compliance with the various advisories issued by the MoHFW on the new VOC and strict enforcement of the COVID Appropriate Behaviour.

*****

गृह मंत्रालय की दिसंबर, 2021 की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम और कार्यक्रम

केंद्रीय गृह सचिव ने तटीय सुरक्षा की समीक्ष करने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ दिनांक 20.12.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।

2. केंद्रीय गृह सचिव ने दिनांक 30.12.2021 को (i) एएनवीसी समझौता (2014) के कार्यान्वयन, (ii) "संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019" के बारे में विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति (डीआरपीएससी) की 223वीं रिपोर्ट की सिफारिशों से संबंधित मुद्दों और (iii) मेघालय के विद्रोही समूहों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए मेघालय के मुख्य सचिव के साथ बैठक की।

3. केंद्रीय गृह सचिव ने दिनांक 27.01.2020 को हस्ताक्षरित बोडो समझौता और दिनांक 04.09.2021 को हस्ताक्षरित कार्बी समझौता के कार्यान्वयन की समीक्षा दिनांक 31.12.2021 को असम के मुख्य सचिव के साथ की।

4. तटीय सुरक्षा की समीक्षा संबंधी विषय निर्वाचन समिति (एसीआरसीएस) की 13वीं बैठक सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड के माध्यम से की गई।

5. पूर्वोत्तर आंचलिक परिषद की स्थायी समिति की 19वीं बैठक शिमला में दिनांक 03.12.2021 को आयोजित की गई।

6. गृह मंत्रालय के दिनांक 30.12.2021 की अधिसूचना संख्या का. आ. 5448(अ) के तहत, संपूर्ण नागालैंड राज्य को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 30.12.2021 से छह माह की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।

7. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी धारणा प्रबंधन के लिए विभिन्न स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय धारणा प्रबंधन समूह के उप-समूह के साथ अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2021 को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।

8. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा,उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को 139.50 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

9. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के अंतर्गत झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्यों को 220 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

10. कालना (नोगली), रामपुर (एचपी) मे आईटीबीपी की 43वीं बटालियन के लिए क्वार्टर मास्टर भंडार, क्वार्टर गार्ड, प्रशासनिक खंड, राजपत्रित अधिकारी मेस आदि सहित गैर आवासीय भवनों के निर्माण और स्थल विकास तथा बल्क सेवाओं से संबंधित कार्य के लिए 56,75,47,999/- रु. के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति दिनांक 15.12.2021 को प्रदान की गई है।

11. गृह मंत्रालय ने दिनांक 27.12.2021 के आदेश के तहत नचोली, जिला- फरीदाबाद में एसएसबी के रिजर्व बटालियन मुख्यालय की स्थापना के लिए 66.50 करोड़ रु. की लागत से 70 एकड़ ग्राम पंचायत भूमि के अंतरण/आवंटन को मंजूरी प्रदान की है।

12. निर्धारित तैनाती अवधि के लिए कानून एवं व्यवस्था ड्यूटियों हेतु विभिन्न राज्यों (अर्थात चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड) में तैनाती के लिए सीधी भर्ती (इंडक्शन) के रूप में सीएपीएफ की कुल 47 कंपनियों (आरएएफ-23, सीआरपीएफ-07, बीएसएफ-03, एसएसबी-07 एवं आईटीबीपी-07) को आदेश दिए गए हैं।

13. सीएसआईआर-सीएमईआरआई द्वारा मोबाइल नियंत्रण वाहन के विकास की समीक्षा करने के लिए संयुक्त सचिव (पीएम) की अध्यक्षता में दिनांक 07.12.2021 को आईजी (आरएएफ), सीआरपीएफ और निदेशक, सीएसआईआर-सीएमईआरआई) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।

14. बीपीआर एंड डी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति (एआईसीटीई) ने साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में दिनांक 08.12.2021को हैकाथन मंथन-2021 का फाइनल संयुक्त रूप से आयोजित किया। हैकाथन के दौरान कुल 2203 सुझाव प्राप्त हुए और 115 टीमों ने फाइनल प्रतियोगिता में भाग लिया।

15. इस माह के दौरान, पांच सीडीटीआई और सीएपीटी भोपाल ने कुल 43 ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित किए जिनमें 1309 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

16. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों का मुकाबला करने के तौर-तरीकों के बारे में राज्य सरकारों/सीएपीएफ को अवगत कराने के लिए उनको एडवाइजरी जारी की गई है।

17. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 45(1) के अनुसार, 54 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

18. दिनांक 27.12.2021 को, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2) के अंतर्गत आदेश जारी करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों को निदेश दिया गया कि वे देश के विभिन्न भागों में वैरिएंट ऑफ कन्सर्न (वीओसी) का बड़ी संख्या में पता लगने को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 21 दिसंबर, 2021 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यथा संसूचित, जिला/स्थानीय स्तर पर साक्ष्य आधारित रोकथाम उपाय करने के लिए नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर विचार करें। यह आदेश दिनांक 31.01.2022 तक लागू रहेगा। उसके बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को कोविड-19 के त्वरित और प्रभावकारी प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु अर्धशासकीय पत्र जारी किया गया जिसमें उनसे कहा गया कि नए वीओसी के बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न एडवाइजरी और कोविड अनुकूल व्यवहार का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

*****